आर.ई.अज-204

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

विद्युत भवन, हाथीभाटा, जयपुर रोड अजमेर–305001

फोन/फैक्स नं.–0145.2632462632462, e-mail:- se_plan@rediffmail.com

31 DEC 2010

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ./योजना/आर.ई./प्रे. 6477 दिनांक 31.12.2010

<u>कार्यालय आदेश</u> — 667

विषयः - कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत वढे हुए भार की ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना''

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार वढाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसगतियां उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' पूर्व में सितम्बर 2010 तक लागू की गई थी जिसके तहत कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक हो तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पैनेल्टी राशि नहीं ली जावे तथा वढे भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिये जावे एवम उपभोक्ता की विलिंग वढे हुए भार के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये । ऐसे कृषक जो दूसरे कुएं पर उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार वढाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है।

इस संवंध में उक्त योजना को 1 अक्टूवर 2010 से 31 मार्च 2011 तक एक वार फिर लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पिछले आदेशों के साथ निम्न निर्णय भी शामिल किये गये है: -

1. इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्तओं को जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिंग के दौरान भी लोड वढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नहीं ली जाकर <u>मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।</u>

2. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये धरोहर राशि के अतिरिक्त रु. 2500/- प्रति हार्स पावर अतिरिक्त वढे भार पर देने होगे।

(15)

3. यदि विन्दु सं. (2) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं का प्रति एच.पी. 2500+ 2500) कुल रुपये 5000/- मात्र पैनेल्टी जमा करानी होगी

उक्त स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक प्रभावी रहेगी। उक्त योजना की सुचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

(ई. बी. एम. गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग) ,माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4 प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. सम्भागीय/मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
6. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/रेवेन्यु/आई.ए.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि., -------------।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशाक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., --------।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
17. सहायक सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)